

आनलाईन संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं

भिलाईनगर/ निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के करदाताओं को सुविधा प्रदान करते हुए आनलाईन भुगतान हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेबसाईट लाँच किया गया है, जिसका अच्छा प्रतिसाद रहा और लोगो ने घर बैठे संपत्तिकर सहित अन्य करो का भुगतान कर आनलाईन रसीद प्राप्त भी कर रहे हैं।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर संपत्तिकर विभाग ने निगम क्षेत्र के भवन मालिको की सुविधा के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेबसाईट <https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/> लाँच किया है, जिसमें संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिंग, यूपीआई पूछा जायेगा जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटर सुरक्षित रख सकते हैं। निगम के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में भी संपत्तिकर जमा करने के लिए काउन्टर है।

गौरतलब है कि अप्रैल एवं मई में संपत्तिकर राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। भवन स्वामी अपना संपत्तिकर राशि जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।